मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-6-1-2015 नियम/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 38-ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"38-ग संतान पालन अवकाश—

(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा.

(2) अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा.

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, संतान से अभिप्रेत है,—

(क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए); या

(ख) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 1 जून 2001 में यथाविनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत नि:शक्तता वाली बाईस वर्ष से कम आयु की संतान.

(4) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान देखभाल अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:—

(क) यह एक केलैंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा. एक दिन के लिए उपभोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा. यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी केलैंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती केलैंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है. केलैंडर वर्ष से अभिप्रेत है, 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि :

(ख) यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है.

(5) संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को, अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा.

(6) संतान देखभाल अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा.

(7) इस अवकाश का खाता पृथक् से संधारित किया जाएगा तथा संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जाएगी.".

2. यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.